सूची 14 फारम संख्या 562

न्यायलय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

अलख ना० यादव प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम

मनोज प्रजापति वगैरह द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० .... से .... तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या 88/22 सन् 2021

धारा 144 द०प्र०स०

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	आवेदक अलख नारायण पिता स्व0 हुकुम यादव, साकिन-सिरमाटांड, थाना-बिरनी, जिला-गिरिडीह द्वारा दं0प्र0सं0 की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा-सरिमाटांड अंतर्गत खाता नं0-09, प्लॉट नं0-222, रकवा-01 एकड़ $12\frac{1}{2}$ डी0, चौहद्दी: उ0-गैरमजरूवा पहाडी, द0-मरकोडीह सीमाना, पू0-रोड, प0-द्वितीय पक्ष में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बिरनी से मांगे। (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया	

आदेशों की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/अंचल अधिकारी बिरनी के ज्ञापांक सं0 1269 दिनांक 19.7.2021 के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 4/08/21 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय। अभिलेख दिनांक 4/08/21 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। (हस्ताक्षर) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया (हस्ताक्षर) 28/7/21 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया	

की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
4/8/22	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 25/8/22 को रखें।	
25/8/22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। To 8/09/22 25/08	
8/9/22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। TO 22/09/22 8/09	
22.09.22	प्रथम पक्ष वकालतन हाजिर। द्वितीय पक्ष उपस्थित। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त। TO 27/09/22 22/09.	

श. की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27/09/22	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में थाना प्रभारी, बिरनी के प्रतिवेदन के संदर्भ में प्रारम्भ किया गया। आवेदक के अनुसार तकरारी जमीन मौजा- सिमरटांड थाना- बिरनी में स्थित खाता- 9, प्लाट- 222, रकबा 4.56 ए. मध्ये 1 एकड़ 12½ डी. है जो आवेदक के पिता को बजरिये केवाला सं0- 21412, दिनांक- 19/11/1968 से हासिल है। खरीदगी के पश्चात् उक्त भूमि पर दखलकार होकर रसीद कटवाते रहे हैं। द्वितीय पक्ष बलपूर्वक उक्त भूमि पर मकान निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। आवेदक (प्रथम पक्ष) अपने दावे के समर्थन में विक्रय पत्र की छाया प्रति दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा लिखित कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार प्रश्नागत खाता में उन्हें बजरिये दो केवाला के माध्यम से कुल 2.62½ ए०	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	भूमि हासिल है तथा केवाला के आधार पर नामांतरण की कार्यवाई सम्पन्न होकर वर्ष 2021-22 तक लगान रसीद निर्गत है। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल केवाला में चौहद्दी स्पष्ट नहीं है। प्रथम पक्ष गलत चौहद्दी के आधार पर फ्रंट वाली जमीन पर जबरन दखल करना चाहते हैं। द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निबंधित विक्रय पत्र दिनांक - 14.10.71 की छाया प्रति, ऑन लाईन लगान रसीद सं० - 0406164503, दिनांक 04-04-2022 की छाया प्रति, लगान रसीद सं० - 0677799936 दिनांक - 4-4-22 की छाया प्रति एवं तत्सम्बन्धी ऑनलाईन पंजी-II की छाया प्रति दाखिल किया गया है। अंचल अधिकारी, बिरनी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि रैयत खाते की भूमि है तथा उभय पक्ष को विक्रय-पत्र के माध्यम से हासिल है। प्रथम पक्ष के	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	केवाला में चौहद्दी अंकित नहीं है। द्वितीय पक्ष के केवाला में चौहद्दी अंकित है। विवाद का मूल कारण विक्रय पत्र में चौहद्दी अंकित नहीं होना है। उभय पक्षों के द्वारा दायर दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल विक्रय पत्र में चौहद्दी अंकित नहीं है जबकि द्वितीय पक्ष के विक्रय-पत्र में चौहद्दी अंकित है। द्वितीय पक्ष के केवाला के आधार पर नामांतरण की कार्यवाई कर अद्यतन लगान रसीद निर्गत किया जाता रहा है। इस नामांतरण का विरोध/आपत्ति प्रथम पक्ष के द्वारा कभी नहीं की गई। निर्गत लगान रसीद द्वितीय पक्ष के दखल को इंगित करता है। उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करता हूँ तथा द्वितीय पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता हूँ। यह आदेश नोटिस निर्गत की तिथि से साठ दिनों के लिये प्रभावी होगा। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। SDM	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2022.11.10 12:44:36 +05:30
Location: 192.168.29.238